

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] No. 82] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2016/पौष 22, 1937

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2016/PAUSA 22, 1937

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्च शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2016

का.आ. 88(अ).—केन्द्रीय सरकार, वास्तुविद परिषद् नियम, 1973 के नियम 23, 24 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वास्तुविद अधिनियम, 1972 (1972 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन वास्तुविद परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की रिक्तियों और उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन उक्त परिषद् की कार्य परिषद् के सदस्यों के पदों में पांच रिक्तियों को अधिसूचित करती है और वास्तुविद परिषद् नियम, 1973 के उपबंधों के अधीन निर्वाचन संचालित करने के प्रयोजन के लिए श्री अमित शुक्ला, निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, कमरा सं. 101-ए, डी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (दूरभाष सं. 23385365) को उक्त नियम के नियम 2 के खंड (घ) के अधीन 'निर्वाचन अधिकारी' नियुक्त करती है।

2. निर्वाचन अधिकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करेंगे।

[फा. सं. 4-15/2015-टीएस-VI(ii)]

एस. पी. गोयल, संयुक्त सचिव

151 GI/2016 (1)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2016

S.O. 88(E).—In exercise of the powers conferred by rules 23, 24 and 25 of the Council of Architecture Rules, 1973, the Central Government hereby notifies the vacancies in the offices of the President and the Vice-President of the Council of Architecture to be elected under sub-section (1) of section 4 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972) and five vacancies in the office of members of the Executive Committee of the said Council to be elected under sub-section (2) of section 10 of the said Act and for the purpose of conducting elections under the provisions of the Council of Architecture Rules, 1973, hereby appoint Shri Amit Shukla, Director in the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Room No. 100-A, D Wing, Shastri Bhawan, New Delhi (Telephone-23385365), as 'Returning Officer' under clause (d) of rule 2 of the said rules.

2. The Returning Officer shall complete the election process within a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. F. 4-15/2015-TS-VI(ii)] S. P. GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2016

का.आ. 89(अ).—केन्द्रीय सरकार, वास्तुविद परिषद् नियम, 1973 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन वास्तुविद परिषद् के सदस्यों के 5 पदों की रिक्तियों को अधिसूचित करती है और वास्तुविद परिषद् नियम, 1973 के उपबंधों के अधीन निर्वाचन संचालित करने के प्रयोजन के लिए श्री अमित शुक्ला, निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, कमरा सं. 101-ए, डी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (दूरभाष सं. 23385365) को उक्त नियम के नियम 2 के खंड (घ) के अधीन 'निर्वाचन अधिकारी' नियुक्त करती है।

2. निर्वाचन अधिकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करेंगे।

[फा. सं. 4-15/2015-टीएस-VI(ii)]

एस. पी. गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2016

- **S.O. 89(E).**—In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Council of Architecture Rules, 1973, the Central Government hereby notifies five vacancies of members of the Council of Architecture to be elected under the provisions of clause (c) of sub-section (3) of section 3 of the Architectus Act, 1972 and for the purpose of conducting elections under the provisions of the Council of Architecture Rules, 1973 hereby appoint Shri Amit Shukla, Director in the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Room No. 100-A, D Wing, Shastri Bhawan, New Delhi (Telephone-23385365) as 'Returning Officer' under clause (d) of rule 2 of the said rules.
- 2. The Returning Officer shall complete the election process within a period of sixty days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[No. F. 4-15/2015-TS-VI(i)]

S. P. GOYAL, Jt. Secy.